कर्नाटक राज्य और अन्य

बनाम

शंकर बाबूराव कंगरालकर और अन्य

फ़रवरी 06, 2018

[न्यायमूर्तिगण मदन बी0 लोकुर और दीपक गुप्ता]

कर्नाटक शिक्षा विभाग सेवा (सार्वजनिक निर्देश विभाग) (भर्ती) (संशोधन) नियम, 2002 - भर्ती नियम - की व्याख्या - हाई स्कूल सहायक शिक्षक ग्रेड -2 की नियुक्ति के लिए अपीलकर्ताओं द्वारा भर्ती अधिसूचना जारी की गई थी - अधिसूचना के संदर्भ में सरकारी हाई स्कूल में हिंदी भाषा सहायक के लिए पात्रता मानदंड थे: (i) व्यक्ति को प्रमुख विषय के रूप में हिंदी के साथ स्नातक डिग्री धारक होना चाहिए और (ii) व्यक्ति को संबंधित विषय या शिक्षण विधियों के रूप में विषयों के साथ शिक्षा में डिग्री धारक होना चाहिए। - उत्तरदाता संख्या 1 का चयन इस आधार पर नहीं किया गया कि उसके पास नियुक्ति के लिए अपेक्षित योग्यता नहीं थी - न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों ने माना कि उत्तरदाता संख्या 1 भाषा सहायक के पद पर चयन के लिए विचार किए जाने का हकदार था - अपील पर, प्रतिपादित किया गया: भर्ती नियम हिंदी भाषा सहायक के लिए एक विशिष्ट श्रेणी बनाते हैं, जिसके अन्तर्गत उम्मीदवार के पास न केवल स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, बल्कि हिंदी को एक प्रमुख विषय के रूप में रखने की भी ऐसी डिग्री होनी चाहिए - भर्ती नियमों के अन्तर्गत अतिरिक्त आवश्यकता यह है कि उम्मीदवार के पास शिक्षण पद्धति के रूप में संबंधित विषय (हिंदी) के साथ शिक्षा में डिग्री होनी चाहिए। - उत्तरदाता संख्या 1 के पास प्रमुख विषय के रूप में हिंदी के साथ स्नातक की डिग्री है, लेकिन उसके पास शिक्षण पद्धति के रूप में हिंदी के साथ बी.एड डिग्री नहीं है - यानी इसलिए, अपीलकर्ताओं द्वारा उत्तरदाता संख्या 1 की उम्मीदवारी को स्वीकार न करना उचित था और न्यायाधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी उत्तरदाता संख्या 1 को अनुतोष देने में गलती की थी - सेवा विधि ।

विद्यायनों की व्याख्या - सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन का सिद्धांत - प्रधानता दी गई, और सामान्य विधि के विरुद्ध विशेष विधि का अनुप्रयोग - प्रतिपादित किया गया: यदि किसी निश्चित मामले पर कोई विशेष प्रावधान किया जाता है, तो उस मामले को सामान्य प्रावधान से बाहर रखा जाता है - यह सिद्धांत पूरी तरह से प्रयोज्य होता है कर्नाटक शिक्षा विभाग सेवा नियम, जिसने हिंदी भाषा सहायक के लिए पात्रता आवश्यकताओं का एक विशेष सेट तैयार किया है और ऐसी विशिष्ट आवश्यकता के लिए कोई चुनौती नहीं है - कर्नाटक शिक्षा विभाग सेवा (सार्वजनिक निर्देश विभाग) (भर्ती) (संशोधन) नियम, 2002.

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए

प्रतिपादित किया: 1. कर्नाटक प्रशासनिक न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों ने गलती की थी और पात्रता मानदंड के बारे में संकीर्ण और प्रतिबंधित दृष्टिकोण अपनाया था। [पैरा 9] [913-डी]

2. इसमें कोई संदेह नहीं है कि कर्नाटक शिक्षा विभाग सेवा (सार्वजनिक निर्देश विभाग) (भर्ती) (संशोधन) नियम, 2002 के अन्तर्गत, संबंधित भाषा में कला में स्नातक की डिग्री और साथ ही बी.एड

डिग्री एक पूर्व-आवश्यकता है। लेकिन जहां तक हिंदी भाषा सहायक का प्रश्न है, उस पद के लिए पात्रता मानदंड को अन्य आवश्यकताओं के साथ अलग कर दिया गया है। भर्ती नियम हिंदी भाषा सहायक के लिए एक विशिष्ट श्रेणी बनाते हैं, जिसके अन्तर्गत उम्मीदवार के पास न केवल स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, बल्कि हिंदी को एक प्रमुख विषय के रूप में और न केवल एक वैकल्पिक विषय के रूप में ऐसी डिग्री होनी चाहिए। भर्ती नियमों के अन्तर्गत अतिरिक्त आवश्यकता यह है कि उम्मीदवार के पास शिक्षण पद्धति के रूप में संबंधित विषय (हिंदी) के साथ शिक्षा में डिग्री होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, हिंदी भाषा सहायक की आवश्यकता किसी भी अन्य भाषा जैसे कन्नड़, मराठी, तेलुगु, तमिल आदि की तुलना में बहुत सख्त है। अनिवार्य रूप से, भर्ती नियमों में हिंदी भाषा सहायक के लिए आवश्यकताओं का एक विशेष सेट तैयार किया गया है। और ऐसी विशिष्ट आवश्यकता के लिए कोई चुनौती नहीं है। [पैरा 10][913-ई-जी]

3. यह सुस्थापित है कि यदि किसी निश्चित मामले पर कोई विशेष प्रावधान किया जाता है, तो उस मामले को सामान्य प्रावधान से बाहर रखा जाता है। यह सिद्धांत कर्नाटक शिक्षा विभाग सेवाओं (सार्वजनिक निर्देश विभाग) (भर्ती) (संशोधन) नियम, 2002 और हिंदी भाषा सहायक के पद से संबंधित प्रावधान पूर्णतया प्रयोज्य है । [पैरा 12][914-डी]

4. निर्विवाद तथ्य यह है कि यद्यपि उत्तरदाता संख्या 1 के पास प्रमुख विषय के रूप में हिंदी के साथ स्नातक की डिग्री है, लेकिन उसके पास शिक्षण पद्धति के रूप में हिंदी के साथ बी.एड नहीं है। ऐसा होने पर, अपीलकर्ताओं द्वारा उत्तरदाता संख्या 1 की उम्मीदवारी को स्वीकार न करना उचित था और कर्नाटक प्रशासनिक न्यायाधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने उत्तरदाता संख्या 1 को अनुतोष देने में गलती की थी। [पैरा 13] [914-ई]

इंडिपेंडेंट थॉट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2017) 10 एस सी सी 800; आत्मा राम प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2017 एससीसी ऑनलाइन एससी 1424; सेंट स्टीफंस कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय (1992) 1 एससीसी 558: [1991] 3 सप्ल एससीआर 121 - संदर्भित।

केस लॉ रेफरेंस (2017) 10 एससीसी 800 पैरा 11 को संदर्भित किया गया है [1991] 3 सप्ल एससीआर 121 - संदर्भित - पैरा 11

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1612 ऑफ 2018।

कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांक 09.09.2011 के निर्णय और आदेश से, 2010 के डब्ल्यू पी संख्या 63822 में धारवाड़ में सर्किट बेंच।

वी. एन रघुपति, अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता।

अनिरुद्ध सांगानेरिया, चिन्मय देशपांडे, सुश्री आस्था दीप, निकोलस चौधरी, बृज किशोर साह, शिवाजी एम जाधव, एस.के. जैन, उत्तरदाताओं के अधिवक्तागण ।

न्यायालय का निर्णय, मदन बी लोकुर, जे. **द्वारा उदघोषित किया गया**।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. अपीलकर्ता रिट याचिका संख्या 63822/2010 और रिट याचिका संख्या 5517/2010 में कर्नाटक उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा पारित 9 सितंबर, 2011 के निर्णय और आदेश से व्यथित हैं।

इस अपील में विवाद संकीर्ण है और कर्नाटक के एक सरकारी हाई स्कूल में हिंदी भाषा सहायक के पद पर उत्तरदाता संख्या 1 (शंकर बाबूराव कंगरालकर) का चयन न होने से संबंधित है।

3. हाई स्कूल सहायक शिक्षक ग्रेड-2 की नियुक्ति के लिए अपीलकर्ताओं द्वारा 30 जुलाई 2003 को एक भर्ती अधिसूचना जारी की गई थी। हम हिंदी भाषा सहायक की नियुक्ति को लेकर सम्बंधित हैं। अधिसूचना के अनुसार पात्रता मानदंड इस प्रकार थे:

"हिंदी भाषा सहायक के मामले में, हिंदी प्रमुख विषय के साथ स्नातक डिग्री धारक होना चाहिए।

और

संबंधित विषय या शिक्षण विधियों के रूप में विषयों के साथ शिक्षा में डिग्री धारक होना चाहिए।

4. माना जाता है कि, उत्तरदाता संख्या 1 प्रमुख विषय के रूप में हिंदी के साथ स्नातक की डिग्री धारक है, लेकिन उसके पास शिक्षण पद्धति के रूप में हिंदी के साथ बी.एड डिग्री नहीं है, हालांकि उसके पास कर्नाटक विश्वविद्यालय से बी.एड डिग्री है। नतीजतन, भले ही उत्तरदाता संख्या 1 ने चयन प्रक्रिया में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन उसे इस आधार पर नहीं चुना गया कि उसके पास नियुक्ति के लिए अपेक्षित योग्यता नहीं थी।

5. व्यथित महसूस करते हुए, उत्तरदाता संख्या 1 ने अपने गैर-चयन को चुनौती देते हुए कर्नाटक प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष 2004 का आवेदन संख्या 931 प्रस्तुत किया। 4 दिसंबर, 2009 के अपने निर्णय और आदेश से न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भर्ती नियमों, अर्थात्, कर्नाटक शिक्षा विभाग सेवा (सार्वजनिक निर्देश विभाग) (भर्ती) (संशोधन) नियम, 2002 के अन्तर्गत योग्यता के तीन सेट हैं भाषा सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित. मोटे तौर पर, एक भाषा सहायक के पास वैकल्पिक विषयों में से एक के रूप में संबंधित भाषा के साथ कला में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और शिक्षा में डिग्री धारक होना चाहिए। दूसरे, हिंदी भाषा सहायक के मामले में, उम्मीदवार को एक प्रमुख विषय के रूप में हिंदी के साथ स्नातक की डिग्री धारक होना चाहिए और शिक्षण विधियों के रूप में संबंधित विषय के साथ बी.एड डिग्री धारक होना चाहिए। तीसरा, एक निश्चित श्रेणी के उम्मीदवारों के मामले में हिंदी में भाषा सहायक के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है। हमें तीसरी श्रेणी से कोई सरोकार नहीं है.

6. न्यायाधिकरण ने प्रतिपादित किया कि जब तक उत्तरदाता संख्या 1 के पास एक प्रमुख विषय के रूप में हिंदी के साथ कला में स्नातक की डिग्री है और कर्नाटक विश्वविद्यालय से शिक्षा में डिग्री है, वह पात्रता की आवश्यकता को पूरा करता है और इसलिए निर्देश का कि अंतिम चयनित अभ्यर्थी को हटाकर उसकी योग्यता के अनुसार चयन पर विचार किये जाने हकदार है। ।

7. न्यायाधिकरण के निर्णय से व्यथित महसूस करते हुए, अपीलकर्ताओं ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की और अंतिम चयनित उम्मीदवार प्रकाश कुंडलिक पाटिल ने भी उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। दोनों रिट याचिकाओं पर सुनवाई की गई और उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप उत्तरदाता संख्या 1 पर भाषा सहायक के पद के लिए विचार किया जाना आवश्यक था।

8. उच्च न्यायालय ने यह विचार किया कि जब तक उत्तरदाता संख्या 1 के पास प्रमुख विषय के रूप में हिंदी के साथ स्नातक की डिग्री और कर्नाटक विश्वविद्यालय से बी.एड की डिग्री है, तब तक वह भाषा सहायक के पद पर चयन के लिए विचार किए जाने का हकदार है। उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि भर्ती नियमों के अन्तर्गत प्राथमिक आवश्यकता यह थी कि भाषा सहायक के रूप में नियुक्ति के लिए एक

उम्मीदवार को वैकल्पिक विषयों में से एक के रूप में संबंधित भाषा के साथ कला में स्नातक की डिग्री एवं शिक्षा मे डिग्री धारक होना चाहिए। चूंकि उत्तरदाता संख्या 1 दोनों आवश्यकताओं को पूरा करता है, इसलिए वह चयन के लिए विचार किए जाने का हकदार है।

9. व्यथित महसूस करते हुए, वर्तमान अपील को कर्नाटक राज्य द्वारा प्राथमिकता दी गई है। प्रकाश कुंडलिक पाटिल ने इस न्यायालय में कोई अपील नहीं की है। हमारी राय में, कर्नाटक प्रशासनिक न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों गलती में थे और उन्होंने पात्रता मानदंड के बारे में संकीर्ण और प्रतिबंधित दृष्टिकोण अपनाया।

10. इसमें कोई संदेह नहीं है कि भर्ती नियमों के अन्तर्गत संबंधित भाषा में कला में स्नातक की डिग्री और साथ ही बी.एड डिग्री एक पूर्व-आवश्यकता है, लेकिन जहां तक हिंदी भाषा सहायक का प्रश्न है, उस पद के लिए पात्रता मानदंड अन्य आवश्यकताओं के साथ अलग कर दिया गया है। भर्ती नियम हिंदी भाषा सहायक के लिए एक विशिष्ट श्रेणी बनाते हैं, जिसके अन्तर्गत उम्मीदवार के पास न केवल स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, बल्कि हिंदी को एक प्रमुख विषय के रूप में और न केवल एक वैकल्पिक विषय के रूप में ऐसी डिग्री होनी चाहिए। भर्ती नियमों के अन्तर्गत अतिरिक्त आवश्यकता यह है कि उम्मीदवार के पास शिक्षण पद्धति के रूप में संबंधित विषय (हिंदी) के साथ शिक्षा में डिग्री होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, हिंदी भाषा सहायक की आवश्यकता किसी भी अन्य भाषा जैसे कन्नड़, मराठी, तेलुगु, तमिल आदि की तुलना में बहुत सख्त है। अनिवार्य रूप से, भर्ती नियमों में हिंदी भाषा सहायक के लिए आवश्यकताओं का एक विशेष सेट तैयार किया गया है। और ऐसी विशिष्ट आवश्यकता के लिए कोई चुनौती नहीं है।

11. हाल ही में, इंडिपेंडेंट थॉट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में हमने रिपोर्ट के पैराग्राफ 95 से लेकर सामान्य विधि के मुकाबले एक विशेष विधि को दी गई प्रधानता और उसके अनुप्रयोग पर विवेचना की है। हाल ही में आत्मा राम प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में सेंट स्टीफंस कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय 3 (1992) 1 एससीसी 558 के निम्नलिखित अंश का संदर्भ दिया गया था, जिसमें कहा गया था:

“140. ... व्याख्या का स्वर्णिम नियम यह है कि शब्दों को सामान्य, प्राकृतिक और व्याकरणिक अर्थ में पढ़ा जाना चाहिए और सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन का सिद्धांत केवल इस नियम को प्रयोज्य करता है कि जहां किसी विषय से संबंधित विधि का एक सामान्य प्रावधान है, और उससे संबंधित एक विशेष प्रावधान है वही विषय, विशेष सामान्य पर प्रभावी रहता है। यदि इसका अर्थान्वयन उस तरीके से नहीं किया गया तो परिणाम यह होगा कि विशेष प्रावधान पूरी तरह से विफल हो जाएगा।

12. इसलिए स्पष्ट रूप से, सुस्थापित है कि यदि किसी निश्चित मामले पर कोई विशेष प्रावधान किया जाता है, तो उस मामले को सामान्य प्रावधान से बाहर रखा जाता है। यह सिद्धांत कर्नाटक शिक्षा विभाग सेवा (सार्वजनिक निर्देश विभाग) (भर्ती) (संशोधन) नियम, 2002 और हिंदी भाषा सहायक के पद से संबंधित प्रावधान पर पूरी तरह से प्रयोज्य है।

13. निर्विवाद तथ्य यह है कि यद्यपि उत्तरदाता संख्या 1 के पास प्रमुख विषय के रूप में हिंदी के साथ स्नातक की डिग्री है, लेकिन उसके पास शिक्षण पद्धति के रूप में हिंदी के साथ बी.एड नहीं है। ऐसा होने पर, अपीलकर्ताओं द्वारा उत्तरदाता संख्या 1 की उम्मीदवारी को स्वीकार नहीं करना उचित था और कर्नाटक प्रशासनिक न्यायाधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी उत्तरदाता संख्या 1 को अनुतोष देने में गलती की थी।

14. उपरोक्त परिस्थितियों में अपील की अनुमति है लेकिन व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया है।

अंकित ज्ञान अपील स्वीकार की गई।

Name of Judicial Officer - RAM MURTI YADAV, ADDITIONAL DISTRICT JUDGE, AZAMGARH (RETIRED)